

भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 897

दिनांक 26 जुलाई, 2024 को उत्तर के लिए

महिला हेल्पलाइन योजना

897. श्री ओमप्रकाश भूपालसिंह उर्फ पवन राजेनिंबालकर:

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :-

- (क) देश में महिला हेल्पलाइन योजना (डब्ल्यूएचएस) के कार्यान्वयन का ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या सरकार ने इन हेल्पलाइनों के लिए निर्धारित लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त कर लिया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं;
- (ग) डब्ल्यूएचएस को लागू करते समय सरकार के सामने क्या चुनौतियां थीं;
- (घ) क्या सरकार ने डब्ल्यूएचएस के लिए कोई जागरूकता अभियान शुरू किया है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा और उसके परिणाम क्या हैं;
- (ङ) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान महाराष्ट्र में महिला हेल्पलाइनों पर प्राप्त मामलों की संख्या कितनी है और इससे कितनी महिलाएं लाभान्वित हुई हैं; और
- (च) क्या सरकार ने देश में महिला हेल्पलाइनों के कामकाज के संबंध में कोई आवधिक मूल्यांकन किया है और यदि हां, तो उसके परिणाम क्या हैं?

उत्तर

महिला एवं बाल विकास मंत्री

(श्रीमती अन्नपूर्णा देवी)

(क) से (ग): महिला एवं बाल विकास मंत्रालय 01.04.2015 से महिला हेल्पलाइन (डब्ल्यूएचएस) योजना को कार्यान्वित कर रहा है। डब्ल्यूएचएस अब 01.04.2022 से मिशन शक्ति के तहत संबल उप-योजना का एक घटक बन गया है जिसका उद्देश्य आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली ईआरएसएस-112, वन स्टॉप सेंटर, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 आदि के साथ इसे एकीकृत करके सार्वजनिक और निजी दोनों स्थानों पर महिलाओं को टेलीफोन शॉर्ट-कोड 181 के माध्यम से 24X7 आपातकालीन और गैर-आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रदान करना है। वर्तमान में, डब्ल्यूएचएस 35 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (पश्चिम बंगाल को छोड़कर) में कार्यशील है। डब्ल्यूएचएस के माध्यम से दिनांक 31/5/2024 तक देश भर में 76,02,460 महिलाओं को सहायता प्रदान की गई है।

(घ) मिशन शक्ति दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर इस योजना का समग्र कार्यान्वयन संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के महिला एवं बाल विकास विभाग/समाज कल्याण विभाग द्वारा किया जा रहा है।

(ङ) महाराष्ट्र सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान पंजीकृत/प्राप्त कॉल्स और सहायता प्राप्त करने वाली महिलाओं का विवरण निम्नानुसार है:

| 2021-22 | | 2022-23 | | 2023-24 | | 2024-25 (31 मई 2024 तक) | |
|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| पंजीकृत/प्राप्त कॉल्स | सहायता प्राप्त करने वाली महिलाएं | पंजीकृत/प्राप्त कॉल्स | सहायता प्राप्त करने वाली महिलाएं | पंजीकृत/प्राप्त कॉल्स | सहायता प्राप्त करने वाली महिलाएं | पंजीकृत/प्राप्त कॉल्स | सहायता प्राप्त करने वाली महिलाएं |
| 5,742 | 5,742 | 3,785 | 3,785 | 1,42,280 | 4,682 | 58,099 | 655 |

(च) वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान नीति आयोग के माध्यम से महिला हेल्पलाइन (डब्ल्यूएचएल) योजना सहित मंत्रालय की योजनाओं का तीसरे पक्ष द्वारा मूल्यांकन किया गया। इस अध्ययन में योजना की प्रासंगिकता, प्रभावशीलता और स्थिरता को संतोषजनक पाया गया।
